

02/11/25
2025/678

प्राचीन सेवा विवर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/4191

दिनांक 03/11/2025

उनवाणी प्रकरण चर्मनोद बनाम गुमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एलठ आरठ एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या - 233/2025

:- दुरुरस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त निम्नलिखित लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने तारीख पत्रांक
...../गू.अ./2025 दिनांक 03/11/2025 के द्वारा राजस्थान गृ. राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम श्रीपलारा पटवारी हल्का श्रीपलारा
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नं. गुमे खाता संख्या 509 में श्यामदार गुमिधारी
पुत्र के स्थान पर श्रीपलारा का नाम दुरुरस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का श्रीपलारा
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुरस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।


(उपखण्ड अधिकारी)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/4192-93

दिनांक 03/11/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

- 1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
- 2 पटवारी हल्का श्रीपलारा तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।


(उपखण्ड अधिकारी)
श्रीमाधोपुर (सीकर)



205/678

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

"प्रशासन-बांधो के लिए अभियान-2025"

प्रतिवेदन पटवारी हल्का-

चीपलारा

श्रीमान जी: राजेश राम श्रीमहारा श्री अनावरी स्व. 2017 के अना. सं. 509 में दीपेन्द्र पुत्र राजजीत आदि बलवर्द्ध करे हैं। अधिक प्रतीक द्वारा मातृगत सम्पूर्ण सतबेती. एवं अना. सं. प्रतीक आधा करे अथवा करे. आदि में प्रतीक के प्रति का नाम दीपेन्द्र पुत्र राजजीत करे हैं। व प्रतीक द्वारा उपलब्ध प्राप्त कर, व सरपंच द्वारा जारी अना. सं. में दीपेन्द्र पुत्र राजजीत व दीपेन्द्र पुत्र राजजीत दोनों नामों से एक ही व्यक्ति है। अथवा अना. सं. 509 में प्रतीक प्रतीक अना. सं. 2017 के अना. सं. 509 में दीपेन्द्र पुत्र राजजीत के हवाला पर दीपेन्द्र पुत्र राजजीत आदि बलवर्द्ध किया जागा डिका है।

जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त:-

सदिलपुरा तहसील

हस्ताक्षर प्रवारी
पटवारी
44-11/10/25
02.10.2025

प्रमाणित, जांच की गई, मुनाबिक पटवारी रिपोर्ट व फंड नो. का पटवारी हल्का चीपलारा के कार्यालय पर शिपलारा की वतमान अना. सं. 509 में दीपेन्द्र पुत्र राजजीत आदि बलवर्द्ध के स्थान पर दीपेन्द्र पुत्र राजजीत आदि बलवर्द्ध करने की अनुमति दी जाती है।

GSS/5015/11
3.10.25

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक
02/10/25

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर

मुनाबिक पटवारी रिपोर्ट व ग्लर जांच प्रमाणित
रिपोर्ट की आधिकारिक की जाती है।

299
17-10-25

हस्ताक्षर तहसीलदार
श्रीमाधोपुरा (कर)

आदेश (शिविर स्थान:- दिनांक:-)
पटवारी हल्का-चीपलारा व भू.अ.नि. वृत्त श्रीमाधोपुरा तहसील
की जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की आधिकारिक रिपोर्ट
के आधार पर ग्राम चीपलारा के अना. सं. 509 में करे दीपेन्द्र
पुत्र राजजीत के स्थान पर दीपेन्द्र पुत्र राजजीत के बलवर्द्ध
जाने की स्वीकृति दी जाती है।

उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर